सूचना का अधिकार के अर्न्तगत आवेदन

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय   दिनांक 27—09—2017

सडक परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

प्राथीः—लोकेश कुमार गदिया, एडवोकेट निवासी ए— 29 कूम्भानगर चित्तौडगढ राज.

पिन 312001 मोबाईल नम्बर 09784495418 एवं 09461113391

विषय :—सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्रदान करने बाबत

महोदय,

कृपया निम्नांकित सूचना प्रदान करावे :—

1—राजस्थान राज्य मे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 भीलवाडा—राजसमन्द के लिये ग्राम सहाडा की अवाप्तशुदा भूमि के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नईदिल्ली द्वारा कम दिये गये मुआवजे के सम्बन्ध में ग्रामवासीयान सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की और से पंजीकृत पत्र दिनांक 04—09—2017 आपके कार्यालय में भेजा गया था जिसकी प्रति पुनः संलग्न है। कृपया आपके रिकार्ड से उक्त पत्र की सत्यापित प्रति प्रदान करावे तथा इस पत्र पर आपके कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली की सत्यापित प्रति प्रदान करावे।

2—राजमार्ग निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरण में भूमि की कीमत पर कारक राशि का निर्धारण भारत के राजपत्र में दिनांक 09 फरवरी 2017 को प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0 आ0 425 अ के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में 2 गुणा किया जाना चाहिये। यदि उसी भूमि के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि की कीमत पर गुंणाक कम आ रहा हो तो ग्रामीण क्षैत्र मे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति में भूमि मालिको को मुआवजे का भुगतान जमीन की कीमत पर किस गुणक के हिसाब से देय होगा । अर्थात भारत सरकार में प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार। कृप्या अवगत करावे एवं नियमो की प्रति प्रदान करावे।

सधन्यवाद

लोकेश कुमार गदिया

एडवोकेट, चितौडगढ राज. 312001